

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

जालूराम आदि बनाम लेखराम आदि

किस्म मुकदमा 53, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या: 40 सन् 2019

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

13.03.2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। बार संघ ने कार्य बन्द रखा। बहस दिनांक 12.03.2020 को सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाते में कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 5 S.D. जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 59/56 के पत्थर नम्बर 100/408 मु.न. 45 के किला नम्बर 19/0.253, 21/2/0.228, 22-23/0.506 में 0.9870 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 101/409 मु.न. 57 के किला नम्बर 3 ता 8/ 1.518, 13 ता 18/1.518, 23 ता 25/0.759 में 3.7950 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 100/409 मु.न. 58 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 9/2.024, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 19/2.024, 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22 ता 25/1.012 में 6.2000 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 99/409 मु.न. 59 के किला नम्बर 20-21 में 0.506 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 100/410 मु.न. 74 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 5/1.012 में 1.240 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 101/410 मु.न. 75 के किला नम्बर 3 ता 5 में 0.7590 हैक्टेयर कमाण्ड कुल खाता 13.4870 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी हैं। वादी संख्या 1 का 240 हिस्सा, वादीया संख्या 2 का 256 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 ता 6 का संयुक्त रूप से 490 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम पुत्र बिशनाराम का 40 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। खाता संयुक्त होने से रकबा को सुधारने, ट्यूबवैल लगाने, बैंक से ऋण आदि लेने रकम आबयाना जमा करवाने में हर समय कठिनाईयां पैदा होती रहती हैं, इसलिए वादीगण मुताबिक घरू बंटवारा के जो वाद पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज अनुसार है, अपना खाता विभाजन करवाना चाहते है। प्रतिवादी न. 1 लेखराम फौत हैं इसलिए उनके वारिसान को पक्षकार बतौर प्रतिवादी बनाया गया हैं, वो सहमती से खाता विभाजन करवाने से इन्कार हो गये, इसलिए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है तथा मुताबिक घरू बंटवारा वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित अनुसार खाता अलग कायम करने का आदेश व डिक्री जारी करने का अनुतोष चाहा है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील हाजिर नहीं आये इसलिए उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया। वादी ने अनुतोष क अनुसार जैरवाद


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



भूमि का खाता विभाजन चाहा है। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आये हैं तथा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। खाता विभाजन हेतु बने नियमों के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होती है। इसलिए वाद पत्र वादीगण का आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा जैरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 5 S.D. जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 59/56 के पत्थर नम्बर 100/408 मु.न. 45 के किला नम्बर 19/0.253, 21/2/0.228, 22-23/0.506 में 0.9870 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 101/409 मु.न. 57 के किला नम्बर 3 ता 8/1.518, 13 ता 18/1.518, 23 ता 25/0.759 में 3.7950 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 100/409 मु.न. 58 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 9/2.024, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 19/2.024, 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22 ता 25/1.012 में 6.2000 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 99/409 मु.न. 59 के किला नम्बर 20-21 में 0.506 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 100/410 मु.न. 74 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 5/1.012 में 1.240 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 101/410 मु.न. 75 के किला नम्बर 3 ता 5 में 0.7590 हैक्टेयर कमाण्ड कुल खाता 13.4870 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी में वादीगण के हिस्सा अनुसार भूमि का खाता विभाजन प्रतिवादीगण से करने के लिए तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्राथमिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 13.03.2020 को सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



(आदेश 21 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

--: प्राथमिक डिक्री ::-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास - मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

--: अनवान :-

1. जालूराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. विद्यादेवी पत्नी जालूराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. महावीर उर्फ प्रेमप्रकाश पुत्र जालूराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. हाल वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र जालूराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. हाल मकान न. एस.एफ. 2, रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. दयानन्द पुत्रगण जालूराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी.
6. सीताराम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....वादीगण

बनाम

1. लेखराम पुत्र बिशनाराम (मृतक) जरिये वारिसान :-
1/1, रामेश्वरी पुत्री स्व.लेखराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
1/2. राजाराम पुत्र स्व.लेखराम(मृतक) जरिये वारिसान:-
1/2/1. श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्व.राजाराम } जाति बिश्नोई निवासी
1/2/2. भूपराम पुत्र स्व.राजाराम } चक 5 एस.डी. तहसील
1/2/3. लिछमा पुत्री स्व.राजाराम } सूरतगढ़ जिला
1/2/4. रामस्नेही पुत्री स्व.राजाराम } श्रीगंगानगर राज.।
1/2/5. हनुमान पुत्र स्व.राजाराम
- 1/3. श्योनारायण (अविवाहित फौत) पुत्र स्व.लेखराम
- 1/4. बृहमादेवी पुत्री स्व.लेखराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
- 1/5. गोपीराम पुत्र स्व.लेखराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
- 1/6. सन्तराम पुत्र स्व. लेखराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

- 1/7. गौरीशंकर पुत्र स्व. लेखराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सूरतगढ़ (पूर्व नाम एस.बी.बी.जे शाखा सूरतगढ़)।
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा साधुवाली (पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शाखा साधुवाली)
4. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 40 वर्ष 2019 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री विनोद कुमार एवं राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

वाद पत्र वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा जैरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 5 S.D. जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 59/56 के पत्थर नम्बर 100/408 मु.न. 45 के किला नम्बर 19/0.253, 21/2/0.228, 22-23/0.506 में 0.9870 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 101/409 मु.न. 57 के किला नम्बर 3 ता 8/1.518, 13 ता 18/1.518, 23 ता 25/0.759 में 3.7950 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 100/409 मु.न. 58 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 9/2.024, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 19/2.024, 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22 ता 25/1.012 में 6.2000 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 99/409 मु.न. 59 के किला नम्बर 20-21 में 0.506 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 100/410 मु.न. 74 के किला नम्बर 1/2/0.228, 2 ता 5/1.012 में 1.240 हैक्टेयर कमाण्ड, पत्थर नम्बर 101/410 मु.न. 75 के किला नम्बर 3 ता 5 में 0.7590 हैक्टेयर कमाण्ड कुल खाता 13.4870 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी में वादीगण के हिस्सा अनुसार भूमि का खाता विभाजन प्रतिवादीगण से करने के लिए तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

नोज..... × मुबलिग..... × बाबत..... × खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह × फर्सदो की पालना × आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13.03.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

